

कार्यालय प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक: ३०६४ /अधिसूचना/ 2023

अम्बिकापुर, दिनांक : ०२./ ०३/ 2023

—:: अधिसूचना ::—

महाविद्यालयीन अकादमिक परिषद की बैठक दिनांक 10.02.2023 को सर्वसम्मति से लिये गये निर्णयों को निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है।

- आगामी स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन के ईकाई टेस्ट के प्रथम ईकाई टेस्ट में दो अति लघूत्तरी प्रश्न (शब्द सीमा 70 – 100 शब्द) $2 \times 2 = 4$ अंक, एक लघूत्तरी प्रश्न (शब्द सीमा 200 – 250 शब्द) 06 अंक के तथा दूसरे ईकाई टेस्ट में 08 स्तुनिष्ठ प्रश्न $0.5 \times 8 = 04$ अंक तथा एक दीर्घोत्तरी (शब्द सीमा 500 – 600 शब्द) 06 अंक के पूछे जायेंगे।
- चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न–पत्र में Dissetation अथवा Project Work कराए जायेंगे।
- Dissetation एवं Project Work कुल छात्र संख्या का 50%–50% होगा।
- तीनों सेमेस्टर के संकलित प्राप्तांक के कम से कम 60% प्राप्तांक अर्जित करने अथवा छात्र की योग्यता जॉच पश्चात् चयनित कराये जायेंगे।


नियन्त्रक,
स्वशासी परीक्षाएँ


प्राचार्य
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा, छ.ग.



कार्यालय प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक: २१५५ / अधिसूचना / २०२२


अम्बिकापुर, दिनांक : ०७ / ०३ / २०२२

—:: अधिसूचना ::—

अधिसूचना क्रमांक 2672 / अधिसूचना 2021, अम्बिकापुर, दिनांक 22.10.2021 के परिशिष्ट 19 के बिन्दु क्रमांक 03 एवं 05 में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। शेष समस्त प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे।

- 3.) प्रत्येक सेमेस्टर के किसी दो प्रश्न में न्यूनतम उत्तीर्णक 36% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र ATKT घोषित किये जावेंगे। ऐसे छात्र अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश पा सकेंगे तथा उन्हे अगले सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ATKT प्राप्त प्रश्न-पत्र की ATKT परीक्षा में शामिल होने की पात्रता होगी।
- 5.) किसी सेमेस्टर के दो से अधिक प्रश्न-पत्र पत्रों में न्यूनतम 36% से कम अंक पाने वाले छात्र अनुत्तीर्ण घोषित किये जाएँगे। ऐसे छात्र उत्तीर्ण हुए बिना अगले सेमेस्टर में न तो नियमित प्रवेश पा सकेंगे और न ही अगले सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।


(डॉ. राजकमल मिश्र)
नियंत्रक, स्वशासी परीक्षाएँ


प्राचार्य
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा, छ.ग.



कार्यालय प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक: ३००८/अधिसूचना/2022

अम्बिकापुर, दिनांक : ०३ / १२ / 2022

—:: अधिसूचना ::—

महाविद्यालय के सभा कक्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वशासी मार्गदर्शिका द्वारा गठित महाविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 23.11.2022 में NEP 2020 एवं यूजीसी के दिनांक 12. 03.2022 के उल्लिखित प्रावधानानुसार 04 वर्षीय शोध ऑनर्स स्नातक (Four Years Undergraduate Honours With Research) उपाधि के संबंध में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णयों को एतद द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित एवं अधिसूचित किया जाता है।

उक्त चार वर्षीय (आठ सेमेस्टर) पाठ्यक्रम की रूप-रेखा इस प्रकार है:-

01. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में तीन-तीन Discipline Specific Core (DSC), एक-एक Generic Elective (GE) बास्केट से चुनाव करना है, एक-एक Ability Enhancement Course (AEC) एक-एक Skill Enhancement Course (SEC) एवं एक-एक Value Addition Course (VAC) बास्केट से चुनाव कर संचालित होंगे। AEC में चार प्रश्न-पत्र – Communication skill in Hindi, Communication skill in English, Environmental Studies – I, Environmental Studies – II, इनका अध्यापन प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में पूर्ण किया जाएगा।
02. तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में तीन-तीन Discipline Specific Core (DSC), एक-एक Discipline Elective Course (DSE) अथवा एक-एक Generic Elective (GE), एक-एक Ability Enhancement Course (AEC), एक-एक Skill Enhancement Course (SEC) एवं एक-एक Value Addition Course (VAC) बास्केट से चुनाव कर संचालित होंगे।
03. पाँचवे एवं छठवे सेमेस्टर में तीन-तीन Discipline specific Core Course (DSC), एक-एक Discipline Elective Course (DSE), एक-एक Generic Elective (GE) एवं एक-एक Skill Enhancement Course (SEC) संचालित होंगे।
04. सातवें एवं आठवें सेमेस्टर में तीन-तीन Discipline Specific Core Course (DSC) तीन-तीन Discipline Elective Course (DSE) या दो-दो DSE से एवं एक-एक GE से या तीन-तीन GE से तथा लघुशोध (Dissertation) संचालित होंगे।
05. सातवें सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता केवल उन्हीं छात्रों को होगी जिन्होंने सम्पूर्ण छ: सेमेस्टर (तीन वर्ष) के समेकित प्राप्तांक/CGPA 7.5 प्राप्त किया हो। इससे कम CGPA प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को तीन वर्षीय उपाधि प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त खण्ड 01 से 05 तक के पाठ्यक्रम अधिसूचना के साथ संलग्न, संलग्नक सूची 01 के अनुसार संचालित होंगे।

06. प्रमाण पत्र एवं उपाधि योजना – (अ) छात्र द्वारा दो सेमेस्टर (एक वर्ष) का पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर संबंधित विषय में प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) प्रदान किया जायेगा।
(ब) चार सेमेस्टर (दो वर्ष) का पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर संबंधित विषय में डिप्लोमा की उपाधि प्रदान की जायेगी।
(स) छ: सेमेस्टर (तीन वर्ष) का पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर संबंधित छात्र को स्नातक की उपाधि प्रदान की जायेगी।



क्रमांक:.....02

- (d) आठ: सेमेस्टर (चार वर्ष) का पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर संबंधित विषय में शोध सहित ऑनर्स डिग्री (स्नातक) की उपाधि प्रदान की जायेगी।
07. एन.सी.सी.एवं विधि विषय प्रारंभ किया जाना – सत्र 2022–23 में प्रथम सेमेस्टर में, एन.सी.सी. प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र Generic Elective Paper (ऐच्चिक) प्रश्न पत्र के रूप में 'एन.सी.सी.' एवं कला एवं समाज विज्ञान संकाय में Generic Elective Paper (ऐच्चिक) प्रश्न पत्र के रूप में विषय का चयन कर सकेंगे।
08. यू.जी.सी के मूक (MOOCS) एवं SWYAM Elective पर उपलब्ध पाठ्यक्रम का चयन— समस्त विषयों में यू.जी.सी के मूक (MOOCS) एवं SWYAM पर उपलब्ध पाठ्यक्रम का विषय एवं प्रश्न–पत्र की इकाई एवं क्रेडिट का मिलान कर छात्रों को ऑनलाइन पोर्टल से अध्ययन करने की सुविधा होगी तथा प्रश्न–पत्र के उस इकाई/इकाइयों का अध्यापन कक्षा में नहीं कराया जायेगा अपितु छात्र अध्ययन कर पोर्टल से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर छात्र को क्रेडिट प्रदान की जायेगी।
09. (a) गैर प्रायोगिक, सैद्धांतिक विषयों हेतु आंतरिक मूल्यांकन— सैद्धांतिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न–पत्रों में 80 अंक सेमेस्टर परीक्षा के और 20 अंक आन्तरिक मूल्यांकन के होंगे। नवीन सेमेस्टर सिस्टम में तीन स्तरीय आंतरिक मूल्यांकन पूर्णांक–20 अंक का होगा, जिसमें टेस्ट–07 अंक, सेमीनार–06 अंक एवं Assignment–07 अंक होंगे। टेस्ट की संख्या – 2 होगी जिसमें प्रथम टेस्ट में 1.5 अंक के 2 प्रश्न ($2 \times 1.5 = 3$ अंक) 70 – 100 शब्द सीमा वाले अतिलघृतरी प्रश्न के रूप में होंगे एवं 4 अंक का एक लघृतरी प्रश्न ($4 \times 1 = 4$ अंक), शब्द सीमा 200–250, निर्धारित 40 मिनट के पीरियड में सम्पन्न होगा। दूसरा टेस्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगा।

Assignment— त्रिस्तरीय प्रश्न योजना के रूप में होगा। जिसमें अतिलघृतरी प्रश्न 0.5 अंक के 02 प्रश्न ($0.5 \times 2 = 1$ अंक) शब्द सीमा 70 – 100, लघृतरी प्रश्न 01 अंक के 02 प्रश्न ($1 \times 2 = 2$ अंक) शब्द सीमा 200–250, दीर्घोत्तरी प्रश्न 2 अंक के 02 प्रश्न ($2 \times 2 = 4$ अंक) शब्द सीमा 500–600 निर्धारित होगी।

(b) प्रायोगिक विषयों हेतु आंतरिक मूल्यांकन— प्रायोगिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न–पत्रों में 60 अंक का सेमेस्टर परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन 15 अंक का तथा प्रायोगिक प्रश्न–पत्र –25 अंक का होगा। जिसमें टेस्ट–05 अंक, सेमीनार–05 अंक एवं Assignment–05 अंक का होगा। टेस्ट की संख्या – 2 होगी। जिसमें प्रथम टेस्ट में 01 अंक के 2 प्रश्न ($01 \times 2 = 2$ अंक) 70 – 100 शब्द सीमा वाले लघृतरी एवं 3 अंक का एक दीर्घोत्तरी ($1 \times 3 = 3$ अंक), शब्द सीमा 200–250 निर्धारित प्रश्न 40 मिनट के पीरियड में सम्पन्न होगा। दूसरा टेस्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगा।

Assignment— प्रायोगिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न–पत्रों में Assignment त्रिस्तरीय प्रश्न योजना के रूप में होगा। जिसमें अति लघृतरी प्रश्न 0.25 अंक के 02 प्रश्न ($0.25 \times 2 = 0.5$ अंक) शब्द सीमा 70 – 100, लघृतरी प्रश्न 0.75 अंक के 02 प्रश्न ($0.75 \times 2 = 1.5$ अंक) शब्द सीमा 200–250, दीर्घोत्तरी प्रश्न 1.5 अंक के 02 प्रश्न ($1.5 \times 2 = 3$ अंक) शब्द सीमा 500–600 निर्धारित होगी।

(c) AEC, SEC और VAC गैर प्रायोगिक सैद्धांतिक विषयों हेतु आंतरिक मूल्यांकन— सैद्धांतिक विषयों हेतु सेमेस्टर परीक्षा 40 अंक एवं तीन स्तरीय आन्तरिक मूल्यांकन पूर्णांक 10 अंक का होगा, जिसमें टेस्ट–04 अंक,



S.C. J.

क्रमशः.....03

सेमीनार-03 अंक एवं Assignment - 03 अंकों के होंगे। टेस्ट की संख्या -02 होगी, जिसमें प्रथम टेस्ट में 1 अंक के 2 प्रश्न ($2 \times 1 = 2$ अंक) एवं 02 अंक का एक लघूतरी प्रश्न ($2 \times 1 = 2$) शब्द सीमा (200-250) निर्धारित होगी। दूसरा टेस्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगा।

Assignment – त्रिस्तरीय प्रश्न योजना के रूप में होगा। जिसमें लघूतरी 0.5 अंक के 02 प्रश्न ($0.5 \times 2 = 1$ अंक) शब्द सीमा 70 – 100, लघूतरी 0.75 अंक के 01 प्रश्न ($0.75 \times 1 = 0.75$ अंक) शब्द सीमा 200-250, दीर्घोत्तरी प्रश्न 1.25 अंक के 01 प्रश्न ($1.25 \times 1 = 1.25$ अंक) शब्द सीमा 500-600 निर्धारित होगी।

(d) **AEC, SEC और VAC** प्रायोगिक विषयों हेतु आंतरिक मूल्यांकन – प्रायोगिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न-पत्रों में सेमेस्टर परीक्षा – 30 अंक, आंतरिक मूल्यांकन 08 अंक तथा प्रायोगिक प्रश्न-पत्र – 12 अंक के होंगे। जिसमें टेस्ट-03 अंक, सेमीनार-02 अंक एवं Assignment-03 अंक का होगा। टेस्ट की संख्या – 2 होगी जिसमें 0.75 अंक के 2 प्रश्न ($0.75 \times 2 = 1.5$ अंक) 70 – 100 शब्द सीमा वाले लघूतरी एवं 1.5 अंक का एक दीर्घोत्तरी ($1.5 \times 1 = 1.5$ अंक), शब्द सीमा 200-250 निर्धारित होगी। दूसरा टेस्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगा।


Assignment – त्रिस्तरीय प्रश्न योजना के रूप में होगा जिसमें लघूतरी 0.5 अंक के 02 प्रश्न ($0.5 \times 2 = 1$ अंक) शब्द सीमा 70 – 100, लघूतरी 0.75 अंक के 01 प्रश्न ($0.75 \times 1 = 0.75$ अंक) शब्द सीमा 200-250, दीर्घोत्तरी प्रश्न 1.25 अंक के 01 प्रश्न ($1.25 \times 1 = 1.25$ अंक) शब्द सीमा 500-600 निर्धारित होगी।

10. **Seminar – Paper presentation** और Paper जमा करना।
11. (a) गैर प्रायोगिक विषयों की सेमेस्टर परीक्षा – कुल 80 अंक की चार स्तरीय प्रश्न योजना समस्त सेमेस्टर कक्षाओं में निर्धारित है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 01 अंक के 08 प्रश्न ($1 \times 8 = 8$), अति लघूतरी प्रश्न 04 अंक के 03 प्रश्न ($4 \times 3 = 12$ अंक) शब्द सीमा 70-100 शब्द, लघूतरी प्रश्न 07 अंक के 03 प्रश्न ($3 \times 7 = 21$ अंक) शब्द सीमा 200-250 शब्द, तथा दीर्घोत्तरी प्रश्न 13 अंक के 03 प्रश्न ($3 \times 13 = 39$ अंक) 500-600 शब्द सीमा के रूप में होगा। सभी प्रश्न योजना आंतरिक विकल्प के साथ होगा।

सेमेस्टर परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम उत्तीर्णक आंतरिक मूल्यांकन एवं सेमेस्टर परीक्षा दोनों को मिलाकर कुल 40 अंक प्राप्त करना होगा।

(b) प्रायोगिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न-पत्रों में कुल 60 अंक की चार स्तरीय प्रश्न योजना निर्धारित है। जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 01 अंक के 09 प्रश्न ($1 \times 9 = 9$), अति लघूतरी प्रश्न 03 अंक के 03 प्रश्न ($3 \times 3 = 9$ अंक) शब्द सीमा 70-100 शब्द, लघूतरी प्रश्न 05 अंक के 03 प्रश्न ($5 \times 3 = 15$ अंक) शब्द सीमा 200 – 250 शब्द, दीर्घोत्तरी प्रश्न 09 अंक के 03 प्रश्न ($9 \times 3 = 27$ अंक) 500-600 शब्द सीमा। सभी प्रश्न योजना आंतरिक विकल्प के साथ होगी एवं प्रायोगिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न-पत्रों में हेतु सेमेस्टर परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम उत्तीर्णक आंतरिक मूल्यांकन एवं सेमेस्टर परीक्षा दोनों को मिलाकर कुल 30 अंक प्राप्त करना होगा।

(c) **AEC, SEC और VAC** गैर प्रायोगिक सैद्धांतिक विषयों हेतु सेमेस्टर परीक्षा – सेमेस्टर परीक्षा कुल 40 अंक की चार स्तरीय प्रश्न योजना समस्त सेमेस्टर कक्षाओं में निर्धारित है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 07 अंक के 07



5-5-24

क्रमसं.....04

// 04 //

- ✓ प्रश्न ($1 \times 07 = 07$), अति लघूतरी प्रश्न 02 अंक के 03 प्रश्न ($2 \times 3 = 06$ अंक) शब्द सीमा 70–100 शब्द, लघूतरी प्रश्न 04 अंक के 03 प्रश्न ($4 \times 3 = 12$ अंक) शब्द सीमा 200–250 शब्द तथा दीर्घोत्तरी प्रश्न 05 अंक के 03 प्रश्न ($05 \times 03 = 15$ अंक) 500–600 शब्द सीमा के रूप में होगा। सभी प्रश्न योजना आंतरिक विकल्प के साथ होगा।
सेमेस्टर परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम उत्तीर्णक आंतरिक मूल्यांकन एवं सेमेस्टर परीक्षा दोनों को मिलाकर कुल 20 अंक प्राप्त करना होगा।

(d) AEC, SEC और VAC प्रायोगिक सैद्धांतिक विषयों हेतु सेमेस्टर परीक्षा –

प्रायोगिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न–पत्रों में कुल 30 अंक की चार स्तरीय प्रश्न योजना निर्धारित है। जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 01 अंक के 06 प्रश्न ($1 \times 6 = 06$), अति लघूतरी प्रश्न 01 अंक के 03 प्रश्न ($1 \times 3 = 03$ अंक) शब्द सीमा 70–100 शब्द, लघूतरी प्रश्न 02 अंक के 03 प्रश्न ($2 \times 3 = 6$ अंक) शब्द सीमा 200 – 250 शब्द, दीर्घोत्तरी प्रश्न 05 अंक के 03 प्रश्न ($5 \times 3 = 15$ अंक) 500–600 शब्द सीमा। सभी प्रश्न योजना आंतरिक विकल्प के साथ होगी एवं प्रायोगिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न–पत्रों में हेतु सेमेस्टर परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम उत्तीर्णक आंतरिक मूल्यांकन सहित सेमेस्टर परीक्षा कुल 20 अंक प्रत्येक प्रश्न–पत्र में उत्तीर्ण होने हेतु प्राप्त करना होगा।

12. यदि किसी छात्र ने एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं क्रीड़ा में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है और उसने इकाई टेस्ट परीक्षा में एक टेस्ट परीक्षा दी है, तो छोड़े गये टेस्ट में दिये गये टेस्ट के अर्जित अंक के बराबर अंक प्रदान किया जाएगा, किन्तु यदि उसने किसी प्रश्न–पत्र में दो में से एक भी टेस्ट नहीं दिया हो तो उस छात्र का उस प्रश्न–पत्र में एक इकाई की टेस्ट परीक्षा आयोजित की जायेगी। महाविद्यालय के एन.सी.सी., एन.एस.एस., क्रीड़ा में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में इकाई टेस्ट परीक्षा पुनः आयोजित नहीं की जायेगी।

कॉमन कोर कोर्स हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा के दोनों प्रश्नपत्रों विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रश्न योजना / पृथक से निर्मित प्रश्न योजना लागू होगा।

13. कृपांक— सीबीसीएस प्रणाली में पाठ्यक्रम संचालित होने के कारण छात्रों को कृपांक की पात्रता नहीं होगी क्योंकि इस प्रणाली में प्रत्येक प्रश्न–पत्र में न्यूनतम उत्तीर्णक 40 प्रतिशत होता है।

14. आंतरिक मूल्यांकन मॉनिटरिंग समिति का गठन – प्रत्येक विभाग में आंतरिक मूल्यांकन समिति होगी। विभागाध्यक्ष संयोजक, स्वशासी प्रकोष्ठ से एक सदस्य, विभाग के अन्य शिक्षक सदस्य होंगे परंतु जिस विभाग में कोई भी नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं हैं, वहां महाविद्यालय के बाहर के एक विषय शिक्षक को सदस्य मनोनीत किया जायेगा। छात्रों के टेस्ट परीक्षा कॉपी का प्रदर्शन विभाग में किया जायेगा तथा छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में प्राप्त शिकायत का निराकरण अंक पत्रक स्वशासी प्रकोष्ठ को सौपने के पूर्व, आंतरिक मूल्यांकन मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जायेगा।

15. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना— अधिकतम दो विषयों/प्रश्न पत्रों में पूनर्मूल्यांकन एवं संबंधित सेमेस्टर के सभी प्रश्न–पत्रों में पुनर्गणना की पात्रता होगी।

16. छात्र–शिक्षक अभिभावक योजना – प्रत्येक विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर कक्षाओं के एवं अन्य शिक्षक अपने संकाय के स्नातक कक्षाओं के अभिभावक होंगे, जो छात्रों के वैल्यू ऐडेड कोर्स, इंटर्नशिप, छात्रों के माता–पिता के साथ बैठक का आयोजन, छात्रों के नौकरी में आने सम्बंधी समस्त जानकारी का संकलन करेंगे। प्रथम वर्ष के नियमित छात्रों से पर्यावरण में 25 रु. शुल्क लिया जाएगा, जिससे

क्रमशः.....05



5.5/2

शिक्षक को पर्यावरण के प्रोजेक्ट वर्क/ फील्ड वर्क हेतु मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन कार्य हेतु 20 रु. पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। शेष 5 रुपये का भुगतान स्वशासी प्रकोष्ठ के नियंत्रकों एवं कार्यालयीन स्टॉफ को किया जायेगा।

17. परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्रता-

- सेमेस्टर कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य होगा।
- द्वितीय सेमेस्टर की पात्रता—ऐसे विद्यार्थी जो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, को तत्काल बाद 02 विषय में बैक के साथ द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।
- तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता— विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में 02 से अधिक विषयों/ प्रश्न—पत्र में बैक नहीं होना चाहिए एवं द्वितीय सेमेस्टर में भी दो से अधिक विषयों/ प्रश्न—पत्रों में बैक नहीं होना चाहिए।
- चतुर्थ सेमेस्टर में परीक्षा की पात्रता— चतुर्थ सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर के सभी विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए तथा द्वितीय सेमेस्टर में 02 एवं तृतीय सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों/ प्रश्न—पत्रों में बैक नहीं होना चाहिए।
- पंचम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता— पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के सभी विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए एवं तृतीय सेमेस्टर में 02 तथा चतुर्थ सेमेस्टर में 02 से अधिक विषयों/ प्रश्न—पत्रों में बैक नहीं होना चाहिए।
- षष्ठम् सेमेस्टर में परीक्षा की पात्रता— षष्ठम् सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर में 02 एवं पंचम सेमेस्टर में 02 से अधिक विषयों/ प्रश्न—पत्रों में बैक नहीं होना चाहिए।
- सम सेमेस्टर के बैक की परीक्षा सम सेमेस्टर में एवं विषम सेमेस्टर के बैक की परीक्षा विषम सेमेस्टर में आयोजित होंगी।
- यदि कोई विद्यार्थी सभी सेमेस्टर में उत्तीर्ण है एवं केवल पंचम सेमेस्टर में एक विषय/ प्रश्न पत्र में बैक है तो ऐसी स्थिति में छात्र को षष्ठम् सेमेस्टर की परीक्षा के साथ पंचम सेमेस्टर की उक्त विषय/ प्रश्न पत्रों की बैक परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जायेगा।
- सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता—षष्ठम् सेमेस्टर तक में कुल 7.5 CGPA के साथ सभी विषयों/ प्रश्न—पत्रों में उत्तीर्ण छात्र सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेंगे।
- अष्टम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता—सप्तम सेमेस्टर में अधिकतम 02 विषयों में बैक के साथ अष्टम सेमेस्टर में प्रवेश एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। सप्तम सेमेस्टर के बैक की परीक्षा अष्टम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ होगी।
- अष्टम सेमेस्टर की परीक्षा के तत्काल पश्चात एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अष्टम सेमेस्टर के अधिकतम 02 प्रश्न—पत्र/ पेपर में बैक होने वाले को अवसर दिया जाएगा।
- सप्तम सेमेस्टर अर्थात चौथे वर्ष के प्रारंभ में ही छात्रों को निर्धारित सीट अनुसार ऑनर्स विषय चयन करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। अष्टम सेमेस्टर सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले छात्रों को उनके चयनित विषय में आनंद की प्रदान की जाएगी।


क्रमसं....06



// 06 //

- m. यदि कोई छात्र अपने बैक पेपर की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता, तो उसे संबंधित सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण घोषित कर रोक दिया जाएगा और उसे उपयुक्त आगामी परीक्षा में भूतपूर्व छात्र के रूप में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने के अवसर प्रदान किया जाएगा।
- n. बैक पेपर की गणना में प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनों प्रश्न-पत्रों को सम्मिलित किया जाएगा। अंकसूची में ग्रेडिंग के साथ प्राप्तांक प्रतिशत अंकित किया जाएगा।
18. स्नातकोत्तर एवं स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा के बाद तीन छात्रों की प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी, जिसमें न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्र शामिल रहेंगे। जिस किसी कक्षा/सेमेस्टर में 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र रहेंगे उस कक्षा/सेमेस्टर की प्रावीण्य सूची जारी नहीं की जाएगी।
19. इंटर्नशीप प्रशिक्षण/अप्रैंटीशीप/प्रोजेक्ट/कॉम्युनिटी आउटरिच— छात्र को अपने पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर से छठवें सेमेस्टर के बीच इंटर्नशीप प्रशिक्षण/अप्रैंटीशीप/प्रोजेक्ट/कॉम्युनिटी आउटरिच में से किसी एक को चयन कर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
20. छात्र/छात्राओं को क्रेडिट अंक प्रदान किया जाना— प्रथम सेमेस्टर से समस्त छात्र/छात्राओं को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 15 पीरियड/15 कार्य दिवस की कक्षा में उपस्थिति हेतु एक क्रेडिट अंक प्रदान किया जायेगा। प्रायोगिक प्रश्न-पत्रों में प्रत्येक 30 पीरियड हेतु एक क्रेडिट प्रदान किया जायेगा। इस तरह पाठ्यक्रम में प्रदर्शित अधिकतम (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक) क्रेडिट अंक का 75 प्रतिशत क्रेडिट (अंक 4.5) अनिवार्यतः अर्जित करने होंगे। प्रत्येक सैद्धांतिक पेपर में NEP 2020 के अनुसार प्रैक्टिकम (Practicum) आयोजित होंगे। जिसका एक क्रेडिट 15 धंटे का होगा। प्रैक्टिकम (शिक्षण पद्धति) के अंतर्गत— पीयर टिचिंग, विज, कक्षा सेमिनार, फिल्ड विजिट के रूप में होगा।
21. क्रेडिट बैंक— छात्रों हेतु NEP 2020 के अनुसार क्रेडिट बैंक स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर में अर्जित किये गये क्रेडिट अंक बैंक में जमा रहेंगे जो आवश्यकतानुसार (Transfer) स्थानांतरण एवं विमोचित (Redeem) किया जा सकेगा। प्रत्येक छात्र के पूर्ण किये गये पाठ्यक्रमों के क्रेडिट बैंक के रूप में जमा रहेंगे।
22. मल्टीपल इन्ट्री और मल्टीपल एक्सजिट — इसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र को बहुप्रवेश एवं निकासी का अवसर प्राप्त होगा। अर्थात् छात्र एक वर्ष का अध्ययन पूर्ण कर, अध्ययन बीच में छोड़कर जा सकता है एवं कुछ समय पश्चात अध्ययन प्रारंभ कर सकता है।
23. छात्रों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरा जाना— सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु छात्रों को परीक्षा आवेदन करना होगा। इसके लिए प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम 75% उपस्थिति आवश्यक होगी।
24. मॉडरेशन बोर्ड— प्रश्न पत्रों की छपाई पूर्व मॉडरेशन बोर्ड जांच करेंगी कि प्रश्न, अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम के अंदर का हो एवं उसकी भाषा एवं पैटर्न निर्धारित स्वरूप में हो।

उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त अन्यथा, अथवा विषम परिस्थिति में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर के अध्यादेश में निहित प्रावधान लागू किये जा सकेंगे।



क्रमांक.....07

11/07/11

गैर प्रायोगिक सैद्धांतिक विषयों हेतु

सेमेस्टर परीक्षा		आंतरिक मूल्यांकन	कुल अंक	कुल उत्तीर्णक अंक
प्रत्येक प्रश्न पत्र	कुल अंक	टेस्ट	07	40
		सेमिनार	06	
		असाइनमेंट	07	
		80	20	

प्रायोगिक विषयों हेतु

	सेमेस्टर परीक्षा	आंतरिक मूल्यांकन		सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में कुल उत्तीर्णक	प्रायोगिक परीक्षा	प्रायोगिक प्रश्न पत्र में उत्तीर्णक
	सैद्धांतिक	आंतरिक मूल्यांकन	कुल अंक			
प्रत्येक प्रश्न पत्र	60	टेस्ट	05	30	25	10
		सेमिनार	05			
		असाइनमेंट	05			
			15			


AEC, VAC एवं SEC विषयों हेतु

गैर प्रायोगिक सैद्धांतिक विषयों हेतु


सेमेस्टर परीक्षा		आंतरिक मूल्यांकन	कुल अंक	कुल उत्तीर्णक
प्रत्येक प्रश्न पत्र	कुल अंक	टेस्ट	04	20
		सेमिनार	03	
		असाइनमेंट	03	
		40	10	

प्रायोगिक विषयों हेतु

	सेमेस्टर परीक्षा	आंतरिक मूल्यांकन		उत्तीर्ण	प्रायोगिक परीक्षा	प्रायोगिक प्रश्न पत्र में उत्तीर्णक
	कुल अंक	आंतरिक मूल्यांकन	कुल अंक			
प्रत्येक प्रश्न पत्र	30	टेस्ट	03	15	12	05
		सेमिनार	02			
		असाइनमेंट	03			
			08			


 (डॉ. राजकुमार मिश्र)
 नियंत्रक, स्वशासी परीक्षाएँ


 राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 अम्बिकापुर, सरगुजा, છ.ગ.


 (डॉ. एस.एस.अग्रवाल) 
 प्राचार्य
 03/12/2022

**कार्यालय प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर,
जिला—सरगुजा, ४०८०**

Ph No-07774-230921, 9425585792, Email- rgpg.apur1960@gmail.com, www.rgpgcapur.in


क्र... ३००५ / स्वशासी / शा.नि. / २०२२

अम्बिकापुर, दिनांक : ०२/१२/२०२२

आधिसूचना

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर के स्वशासी योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शिका 2018 के अनुसार गठित वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.11.2022 को सर्वसम्मति से में विभिन्न गतिविधियों हेतु राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा एवं शासी निकाय की बैठक दिनांक 30.11.2022 को सर्वसम्मति से स्वीकृति पश्चात् निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है।

क्र.	विभाग / संकाय	गतिविधि	राशि
01.	स्वशासी परीक्षा	डिप्लोमा / सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का परीक्षा शुल्क । (i) प्रायोगिक विषय रहित (ii) प्रायोगिक विषय सहित (iii)पारिश्रमिक पेपर सेटिंग (iv)उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन	880.00 980.00 1300.00 15.00 प्रति
02.	कला एवं समाज विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य एवं विधि संकाय	सेमिनार / वर्कशाप	50,000.00 प्रति सेमिनार / वर्कशाप
03.	कला एवं समाजिक विज्ञान, वणिज्य एवं विधि संकाय	रिसर्च प्रोजेक्ट	50,000.00 प्रति रिसर्च प्रोजेक्ट
04.	विज्ञान संकाय	रिसर्च प्रोजेक्ट	60,000.00 प्रति रिसर्च प्रोजेक्ट
05.	आईक्यूएसी	'बौद्धिक सम्पदा' पर सेमिनार	50,000.00 प्रति सेमिनार
06.	शोध समिति	शोध प्रविधि एवं शोधकार्य में सेमिनार	50,000.00 प्रति शोध
07.	फैकल्टि विकास	कार्यशाला	50,000.00 प्रति कार्यशाला
08.	स्वशासी परीक्षा	स्नातक प्रथम सेमेस्टर NEP शेष सभी स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 100	200.00 प्रति छात्र 100.00 प्रति छात्र
09.	विभाग प्रत्येक	विभिन्न आकस्मिक व्यय हेतु	2000.00 प्रति विभाग
10.	वैल्यू ऐडेड पाठ्यक्रम Post Graduate शुल्क		100.00 प्रति छात्र



S. S. [Signature]

क्रमशः.....02

शासी निकाय/विद्या परिषद/वित्त समिति आदि बैठकों एवं बाह्य परीक्षकों हेतु उपस्थित सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता का निर्धारण। सीधे ट्रेन रूट में पात्रता अनुसार साधारण मेल / एक्सप्रेस ट्रेन (एसी-तृतीय/द्वितीय/प्रथम श्रेणी) से यात्रा की पात्रता होगी, टिकट की कॉपी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। बिना सीधे ट्रेन रूट वाले स्थान हेतु स्वंय के वाहन से 10 रु. प्रति कि.मी. की दर से यात्रा की पात्रता होगी। संबंधित को यात्रा देयक के साथ अपने आर्शी बुक की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। सीधी ट्रेन सेवा वाले रूट में स्वंय के वाहन, टैक्सी अथवा उच्च श्रेणी विशेष ट्रेन अथवा वायुयान से यात्रा करने पर संबंधित को साधारण मेल एक्सप्रेस ट्रेन के पात्रता अनुसार एसी-तृतीय/द्वितीय/प्रथम श्रेणी के साधारण कोटा के टिकट के समान किराया देय होगा। साथ ही, स्वंय के वाहन का आर्शी बुक एवं टैक्सी से यात्रा की स्थिति में बिल, संलग्न करना आवश्यक होगा। यात्रा संबंधी शेष नियम, छ.ग.शासन के यात्रा देयक नियम लागू होगा। किन्तु, उक्त प्रतिबंध शासी निकाय के बाह्स सदस्य अथवा ऐसे किसी व्यक्ति को जिन्हे स्वशासी कार्य हेतु आवश्यकता पूर्वक बुलाया जाये अथवा स्वशासी परीक्षा नियंत्रकों हेतु शिथिल किये जा सकेंगे। स्वशासी कार्य से टैक्सी से यात्रा करने एवं रात्रि विश्राम की स्थिति में टैक्सी द्वारा चार्ज किये जाने वाले हालिंग चार्ज देय होगा। शासी निकाय में यू.जी.सी.प्रतिनिधि को यूजीसी के निर्देशानुसार वायुयान से यात्रा की अनुमति होगी।

(डॉ.राजकमल मिश्र)
नियंत्रक, स्वशासी परीक्षाएँ

पृ. क्र. ३००६/स्वशासी/शा.नि./2022
1-9

(डॉ.एस.एस.अग्रवाल)
प्राचार्य एवं सदस्य सचिव, शासी निकाय
राजीव गांधी शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा
अम्बिकापुर, दिनांक : 02/12/2022

प्रतिलिपि:-

1. डॉ.क्षी.के.वर्मा, सेवा निवृत्त प्राध्यापक गुदरी चौक, अम्बिकापुर।
2. श्री अजय अग्रवाल, अम्बिका ट्रांसपोर्ट, अम्बिकापुर।
3. श्री प्रकाश राय, ब्रिक्स इंडस्ट्रीज, नवापारा अम्बिकापुर।
4. डॉ.एम.ए.खान, सेवा निवृत्त प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. डॉ.ज्योति सिन्हा, प्राचार्य, राजमोहनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर।
6. डॉ.रिजवान उल्ला, प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर।
7. डॉ.एस.के.श्रीवास्त, प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र, राजीवगांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर।
8. लेखा शाखा।
9. आदेश फोल्डर।

नियंत्रक, स्वशासी परीक्षाएँ



प्राचार्य
राजीव गांधी शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा

क्रमांक: २९५५/३ / अधिसूचना / २०२२

अम्बिकापुर, दिनांक : १६ / ०८ / २०२२

-:: अधिसूचना ::-

महाविद्यालय के सभा कक्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वशासी मार्गदर्शिका द्वारा गठित महाविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 16.08.2022 में NEP 2020 एवं यूजीसी के दिनांक 12.03.2022 के उल्लेखित प्रवधानानुसार 04 वर्षीय शोध ऑर्नर्स स्नातक (Four Years Undergraduate Honours With Research) उपाधि के संबंध में सर्वसमिति से लिये गये निर्णयों को एतद द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित एवं अधिसूचित किया जाता है।

उक्त चार वर्षीय (आठ सेमेस्टर) पाठ्यक्रम के रूप-रेखा इस प्रकार है:-

01. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में तीन-तीन Common Core Course तथा एक-एक Introductory Core Course संचालित होंगे। तृतीय सेमेस्टर में दो Common Core Course, एक Introductory Core Course एवं एक Introductory Vocational Course संचालित होंगे।
02. चतुर्थ सेमेस्टर में मुख्य विषय से संबंधित Disciplinary/ Interdisciplinary Subject से दो-दो प्रश्न-पत्र, Interdisciplinary Minor Course से एक प्रश्न-पत्र तथा Interdisciplinary Minor Course Vocational से एक प्रश्न-पत्र सम्मिलित रहेगा।
03. पॉचवे सेमेस्टर में Disciplinary Major Paper के तीन प्रश्न पत्र, Interdisciplinary Minor Paper से एक प्रश्न पत्र तथा Interdisciplinary Vocational Paper एक प्रश्न-पत्र सम्मिलित रहेगा। प्रथम सेमेस्टर से छःसेमेस्टर तक प्रायोगिक विषयों से संबंधित Disciplinary/ Interdisciplinary Major Subject के साथ एक-एक प्रायोगिक प्रश्न-पत्र भी सम्मिलित रहेंगे।
04. छठवे सेमेस्टर में Disciplinary Major Paper के तीन प्रश्न-पत्र, Interdisciplinary Minor Paper से एक प्रश्न पत्र, Interdisciplinary Vocational Paper एक प्रश्न-पत्र तथा सामाजिक सेवाओं (Community Service) का एक प्रश्न-पत्र सम्मिलित रहेगा। सातवे सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता केवल उन्हीं छात्रों को होगी जिन्होने सम्पूर्ण छः सेमेस्टर (तीन वर्ष) के समेकित प्राप्तांक/ CGPA 7.5 प्राप्त किया होगा इससे कम CGPA प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को तीन वर्षीय ऑर्नर्स उपाधि प्रदान किया जायेगा।
05. सेमेस्टर सात एवं आठ में तीन एवं दो प्रश्न-पत्र पाठ्यक्रम के रूप में संचालित होंगे, जिनके प्रश्न-पत्र शोध प्रविधि एवं अनुसंधान से संबंधित होंगे।
06. प्रमाण पत्र एवं उपाधि योजना – (अ) छात्र द्वारा दो सेमेस्टर (एक वर्ष) का पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर संबंधित विषय में प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) प्रदान किया जायेगा।
 (ब) चार सेमेस्टर (दो वर्ष) का पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर संबंधित विषय में डिप्लोमा की उपाधि प्रदान की जायेगी।
 (स) छः सेमेस्टर (तीन वर्ष) का पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर संबंधित विषय में ऑर्नर्स डिग्री (स्नातक) की उपाधि प्रदान की जायेगी।
 (द) आठ सेमेस्टर (चार वर्ष) का पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर संबंधित विषय में शोध सहित ऑर्नर्स डिग्री (स्नातक) की उपाधि प्रदान की जायेगी।
07. एन.सी.सी.एवं विधि विषय प्रारंभ किया जाना – सत्र 2022-23 में प्रथम सेमेस्टर एवं एन.सी.सी. प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र Elective Paper (ऐच्छिक) प्रश्न पत्र के रूप में एवं कला एवं समाज विज्ञान संकाय में Elective Paper (ऐच्छिक) प्रश्न पत्र के रूप में विधि विषय प्रारंभ कर सकेंगे।



08. यूजीसी के मूक (Mooc) एवं Swyam पर उपलब्ध पाठ्यक्रम का चयन— समस्त विषयों में यूजीसी के मूक (Mooc) एवं Swyam पर उपलब्ध पाठ्यक्रम का विषय एवं प्रश्न—पत्र की इकाई एवं क्रेडिट का मिलान कर छात्रों को ऑनलाईन पोर्टल से अध्ययन करने की सुविधा होगी तथा प्रश्न—पत्र के उस इकाई/इकाईयों अध्ययापन कक्षा में नहीं कराया जायेगा अपितु छात्र अध्ययन कर पोर्टल से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर छात्र को क्रेडिट प्रदान की जायेगी।

09. (a) सैद्धांतिक विषयों हेतु आंतरिक मूल्यांकन— सैद्धांतिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न—पत्रों में नवीन सेमेस्टर सिस्टम में तीन . स्तरीय .आंतरिक मूल्यांकन—30 अंक, टेस्ट—10 अंक, सेमीनार—10 अंक एवं Assignment—10 अंक होंगे। टेस्ट की संख्या — 2 होगी जिसमें प्रथम टेस्ट में 02 अंक के 2 प्रश्न ($2 \times 2=4$ अंक) 100 शब्द सीमा वाले अतिलघृतरी के रूप में होगा एवं 6 अंक का एक लघृतरी ($6 \times 1=6$ अंक), शब्द सीमा 200—250, निर्धारित 40 मिनट के पीरियड में सम्पन्न होगा। दूसरा टेस्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित होगा।

Assignment— त्रिस्तरीय प्रश्न योजना के रूप में होगा जिसमें, लघृतरी 01 अंक के 02 प्रश्न($1 \times 2=2$ अंक) शब्द सीमा 70 — 100, लघृतरी 1.5 अंक के 02 प्रश्न ($1.5 \times 2=3$ अंक) शब्द सीमा 200—250, दीर्घतरी प्रश्न 2.5 अंक के 02 प्रश्न($2.5 \times 2=5$ अंक) शब्द सीमा 500—600।

आंतरिक मूल्यांकन उत्तीर्ण होने हेतु इसके तीनों विधाओं (टेस्ट, सेमिनार एवं असाईनमेन्ट) में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 12 अंक प्राप्त करना होगा।

(b) प्रायोगिक विषयों हेतु आंतरिक मूल्यांकन— प्रायोगिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न—पत्रों में आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक का होगा, जिसमें टेस्ट—08 अंक, सेमीनार—08 अंक एवं Assignment—09 अंक का होगा। टेस्ट की संख्या — 2 होगी जिसमें 02 अंक के 2 प्रश्न ($2 \times 2=4$ अंक) 100 शब्द सीमा वाले लघृतरी एवं 4 अंक का एक दीर्घतरी($1 \times 4=4$ अंक), शब्द सीमा 500—600 निर्धारित होगा।

Assignment— प्रायोगिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न—पत्रों में Assignment त्रिस्तरीय प्रश्न योजना के रूप में होगा, जिसमें अति लघृतरी प्रश्न 01 अंक के 02 प्रश्न($1 \times 2=2$ अंक) शब्द सीमा 70 — 100, लघृतरी प्रश्न 1.5 अंक के 02 प्रश्न ($1.5 \times 2=3$ अंक) शब्द सीमा 200—250, दीर्घतरी प्रश्न 02 अंक के 02 प्रश्न ($2 \times 2=4$ अंक) शब्द सीमा 500—600 निर्धारित होगा।

आंतरिक मूल्यांकन उत्तीर्ण होने हेतु इसके तीनों विधाओं (टेस्ट, सेमिनार एवं असाईनमेन्ट) में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना होगा।

10. **Seminar – Paper presentation** और Paper जमा करना। उपरोक्त तीनों विधाओं में न्यूनतम उत्तीर्णक कुल 12 अंक प्राप्त करने होंगे। साथ ही प्रायोगिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न—पत्रों हेतु उपरोक्त तीनों विधाओं कुल 10 अंक प्राप्त करने होंगे।

11. (a) सेमेस्टर परीक्षा— कुल 70 अंक का चार स्तरीय प्रश्न योजना समस्त सेमेस्टर कक्षाओं में निर्धारित हैं। जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 01 अंक के 10 प्रश्न ($1 \times 10=10$), अति लघृतरी प्रश्न 03 अंक के 03 प्रश्न ($3 \times 3 = 9$ अंक) शब्द सीमा 70—100 शब्द, लघृतरी प्रश्न 06 अंक के 03 प्रश्न ($3 \times 6 = 18$ अंक) शब्द सीमा 200—250 शब्द, दीर्घतरी प्रश्न 11 अंक के 03 प्रश्न ($3 \times 11 = 33$ अंक) 500—600 शब्द सीमा के रूप में होगा। सभी प्रश्न योजना आंतरिक विकल्प के साथ होगा।

सेमेस्टर परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम् उत्तीर्णक 25 एवं आंतरिक मूल्यांकन उत्तीर्णक 12 अंक सहित कुल (Aggregate) 37 अंक प्रत्येक प्रश्न—पत्र में उत्तीर्ण होने हेतु प्राप्त करना होगा।




(b) प्रायोगिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न—पत्रों में कुल 50 अंक का चार स्तरीय प्रश्न योजना निर्धारित है। जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 01 अंक के 08 प्रश्न ($1 \times 8 = 08$), अति लघुत्तरी प्रश्न 02 अंक के 03 प्रश्न ($2 \times 3 = 06$ अंक) शब्द सीमा 70–100 शब्द, लघुत्तरी प्रश्न 04 अंक के 03 प्रश्न ($4 \times 3 = 12$ अंक) शब्द सीमा 200 – 250 शब्द, दीर्घोत्तरी प्रश्न 08 अंक के 03 प्रश्न ($8 \times 3 = 24$ अंक) 500–600 शब्द सीमा। सभी प्रश्न योजना आंतरिक विकल्प के साथ होगा एवं प्रायोगिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न—पत्रों में हेतु सेमेस्टर परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम् उत्तीर्णक 20 एवं आंतरिक मूल्यांकन उत्तीर्णक 10 अंक सहित कुल (Aggregate) 30 अंक प्रत्येक प्रश्न—पत्र में उत्तीर्ण होने हेतु प्राप्त करना होगा।

12. यदि किसी छात्र ने एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं क्रीड़ा में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है और उसने इकाई टेस्ट परीक्षा में एक टेस्ट परीक्षा दी है, तो छोड़े गये टेस्ट में दिये गये टेस्ट के अर्जित अंक के बराबर अंक प्रदान किया जाएगा, किन्तु यदि वह किसी प्रश्न—पत्र में दो में से एक भी टेस्ट नहीं दिया हो तो उस छात्र का उस प्रश्न—पत्र में एक इकाई की टेस्ट परीक्षा आयोजित की जायेगी। महाविद्यालय के एन.सी.सी., एन.एस.एस., क्रीड़ा में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में इकाई टेस्ट परीक्षा पुनः आयोजित नहीं की जायेगी।

कॉमन कोर कोर्स हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा के दोनों प्रश्न—पत्रों विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रश्न योजना / पृथक से निर्मित प्रश्न योजना लागू होगा।

13. **कृपांक—** सीबीसीए प्रणाली में पाठ्यक्रम संचालित होने के कारण छात्रों को कृपांक की पात्रता नहीं होगी क्योंकि इस प्रणाली में प्रत्येक प्रश्न—पत्र में न्यूनतम् उत्तीर्णक 40 प्रतिशत होता है।
14. **आंतरिक मूल्यांकन मॉनिटरिंग समिति का गठन —** प्रत्येक विभाग में आंतरिक मूल्यांकन समिति होगी। विभागाध्यक्ष संयोजक, स्वशासी प्रकोष्ठ से एक सदस्य, विभाग के अन्य शिक्षक सदस्य होंगे परंतु जिस विभाग में कोई भी नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं हैं, वहां महाविद्यालय के बाहर के एक विषय शिक्षक को सदस्य मनोनित किया जायेगा। छात्रों के टेस्ट परीक्षा कॉपी का प्रदर्शन विभाग में किया जायेगा तथा छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में प्राप्त शिकायत का निराकरण अंक पत्रक स्वशासी प्रकोष्ठ के सौपने के पूर्व, आंतरिक मूल्यांकन मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जायेगा।
15. **पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना—** अधिकतम दो विषयों/प्रश्न पत्रों में पूर्णमूल्यांकन एवं संबंधित सेमेस्टर के सभी प्रश्न—पत्रों में पुनर्गणना की पात्रता होगी।
16. **छात्र—शिक्षक अभिभावक योजना —** प्रत्येक विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर कक्षाओं के एवं अन्य शिक्षक अपने संकाय के स्नातक कक्षाओं के अभिभावक होंगे, जो छात्रों के वैल्यू ऐडेड कोर्स, इंटर्नशीप, छात्रों के माता—पिता के साथ बैठक का आयोजन, छात्रों के नौकरी में आने सम्बंधी समस्त जानकारी का संकलन करेंगे। प्रथम वर्ष के नियमित छात्रों से प्रर्यावरण में 25 रु. शुल्क लिया जाएगा, जिससे शिक्षक को प्रर्यावरण के प्रोजेक्ट वर्क/ फिल्ड वर्क हेतु मार्गदर्शण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु 20 रु. पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। शेष 5 रुपये का भुगतान स्वशासी प्रकोष्ठ के नियंत्रकों एवं कार्यलयीन स्टॉफ को किया जायेगा।
17. **परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्रता—**
 - a. सभी सेमेस्टर कक्षाओं में 75 % उपस्थिति के साथ आन्तरिक मूल्यांकन के सभी विषयों/प्रश्न—पत्रों में पृथक—पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
 - b. **ATKT योजना प्रारम्भ—** सत्र 2022–23 से प्रथम सेमेस्टर से सेमेस्टर परीक्षा में ATKT लागू किया गया है। ATKT छात्र प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर के बकाया प्रश्न पत्रों के साथ चतुर्थ सेमेस्टर तक प्रोन्त (Promote) होगा। प्रथम/तृतीय सेमेस्टर एवं द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ ATKT की समाप्ति परीक्षण आयोजित होंगी। पाँचवे एवं छठवे सेमेस्टर में ATKT प्राप्त छात्रों की ATKT की परीक्षा, आया हुआ होने वाली अगले नियमित सेमेस्टर परीक्षा के साथ आयोजित की जायेगी।



अंकसूची में ग्रेडिंग के साथ प्राप्तांक प्रतिशत अंकित किया जाएगा। इसी तरह सातवे एवं आठवे सेमेस्टर परीक्षा में ATKT प्राप्त छात्रों की ATKT परीक्षा आयोजित की जायेगी।

ATKT प्राप्त छात्र ATKT क्लीयर करने के बाद ही महाविद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करें, अन्यथा उन्हें ATKT परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी। छात्र को अधिकतम आठ वर्षों में पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

18. **इंटर्नशीप प्रशिक्षण** – छात्र अपने पाठ्यक्रम के साथ-साथ उपलब्ध अवसर के आधार पर अपने पसंद के क्षेत्र का चयन कर इंटर्नशीप कर सकेंगे। इसके लिए एक इंटर्नशीप प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जो छात्रों को इंटर्नशीप हेतु फर्म, व्यक्ति अथवा संस्थान प्रदान करेगा। इंटर्नशीप के प्रमाण-पत्र की प्रति छात्रों को इंटर्नशीप प्रकोष्ठ में जमा करना होगा।
19. **छात्र/छात्राओं को क्रेडिट अंक प्रदान किया जाना** – प्रथम सेमेस्टर से समस्त छात्र/छात्राओं को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 15 पीरियड/15 कार्य दिवस की कक्षा में उपस्थिति हेतु एक क्रेडिट अंक प्रदान किया जायेगा। प्रायोगिक प्रश्न-पत्रों में प्रत्येक 30 पीरियड हेतु एक क्रेडिट प्रदान किया जायेगा। इस तरह पाठ्यक्रम में प्रदर्शित अधिकतम (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक) क्रेडिट अंक का 75 प्रतिशत क्रेडिट (अंक 4.5) अनिवार्यतः अर्जित करने होंगे। प्रत्येक सैद्धान्तिक पेपर में NEP 2020 के अनुसार प्रैक्टीम (Practium) आयोजित होंगे। जिसका एक क्रेडिट 15 धंटे का होगा। प्रैक्टीम (शिक्षण पद्धति) के अंतर्गत – पीयर टिचिंग, क्यूजू, कक्षा सेमिनार, फिल्ड विजिट के रूप में होगा।
20. **क्रेडिट बैंक** – छात्रों हेतु NEP 2020 के अनुसार क्रेडिट बैंक स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर में अर्जित किये गये क्रेडिट अंक बैंक में जमा रहेंगे जो आवश्यकतानुसार (Transfer) स्थानान्तरण एवं विमोचित (Redeem) किया जा सकेगा। प्रत्येक छात्र के पूर्ण किये गये पाठ्यक्रमों के क्रेडिट बैंक के रूप में जमा रहेंगे।
21. **मल्टीपल इन्ट्री और मल्टीपल एक्साजिट** – इसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र को बहुप्रवेश एवं निकासी का अवसर प्राप्त होगा। अर्थात् छात्र एक वर्ष का अध्ययन पूर्ण कर, अध्ययन बीच में छोड़कर जा सकता है एवं कुछ समय पश्चात अध्ययन प्रारंभ कर सकता है।
22. **छात्रों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरा जाना** – सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु छात्रों को परीक्षा आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हे आंतरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा साथ ही न्यूनतम 75% उपस्थिति आवश्यक होगी।

किसी भी सेमेस्टर में यदि कोई छात्र आन्तरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण रहता है, तो वह सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र नहीं होगा, यदि वह प्रथम सेमेस्टर का नियमित छात्र रहा हो तो उसे ATKT प्राप्त नहीं होगा उसे उसी कक्षा में प्रवेश लेकर पुनः आन्तरिक मूल्यांकन में न्यूनतम उत्तीर्णक अर्जित करना होगा।

22. **मॉडरेशन बोर्ड** – प्रश्न पत्रों की छपाई पूर्व मॉडरेशन बोर्ड जांच करेंगी कि प्रश्न, अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम के अंदर का हो एवं उसकी भाषा एवं पैटर्न निर्धारित स्वरूप में हो।

उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त अन्यथा, अथवा विषम परिस्थिति में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर के अध्यादेश में निहित प्रावधान लागू किये जा सकेंगे।



// 05 //

सैद्धांतिक विषयों हेतु

सेमेस्टर परीक्षा			आंतरिक मूल्यांकन	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक	कुल उत्तीर्णांक अंक
प्रत्येक प्रश्न पत्र	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक	टेस्ट	10	12	40
			सेमीनार	10		
			असाइनमेंट	10		
70	25			30	12	

प्रायोगिक विषयों हेतु

सेमेस्टर परीक्षा			आंतरिक मूल्यांकन	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक	कुल उत्तीर्णांक अंक
प्रत्येक प्रश्न पत्र	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक	टेस्ट	08	10	30
			सेमीनार	08		
			असाइनमेंट	09		
50	20			25	10	



5-5/2022
 (डॉ. एस. एस. अग्रवाल)
 प्राचार्य

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 अस्थिकापुर, सरगुजा, छ.ग.

16.8.2022

क्रमांक: 2672 /अधिसूचना /2021

अम्बिकापुर, दिनांक : 22./...10./2021

—:: अधिसूचना ::—

- सत्र 2020–21 से विधि सहित समस्त स्नातक पाठ्यक्रम स्नातक प्रथम सेमेस्टर प्रणाली से प्रभावशील होंगे। प्रत्येक विषय का प्रथम प्रश्न–पत्र, प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय प्रश्न–पत्र दूसरे सेमेस्टर में संचालित होगा।
- विधि स्नातक कक्षाओं के सेमेस्टर पाठ्यक्रम यथावत लागू होंगे।
- प्रवेश नियम— सेमेस्टर कक्षाओं में छात्रों का प्रवेश उच्च शिक्षा विभाग छ.ग.शासन के प्रवेश नियम एवं प्रावधानों के तहत किया जायेगा।
- मूल्यांकन के दो भाग होंगे, आंतरिक मूल्यांकन एवं सेमेस्टर परीक्षा।
- छात्र को अधिकतम छ: वर्षों में कोर्स पूरा करना होगा। डिप्लोमा पाठ्यक्रम— (पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए) वार्षिक सिस्टम में संचालित होंगे।
- प्रत्येक सैद्धांतिक विषयों में, सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 100 अंक सेमेस्टर परीक्षा 70 एवं आन्तरिक मूल्यांकन— 30 अंक के होंगे।
- प्रायोगिक विषयों में 75 अंक के दो सैद्धांतिक एवं 50 का एक अंक के प्रायोगिक प्रश्न—पत्र होंगे, सैद्धांतिक प्रश्न—पत्र में 50 अंक का सेमेस्टर मूल्यांकन एवं 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा।
- शास. विज्ञान महा.वि., बिलासपुर में संचालित गणित विषय का पाठ्यक्रम एवं शासकीय बिलासा, कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर में संचालित रसायन शास्त्र विषय का पाठ्यक्रम को आंगीकृत किया जाता है।
- पर्यावरण विषय में 100 अंक के सैद्धांति प्रश्न—पत्र 70 सेमेस्टर परीक्षा एवं 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन तथा 50 अंक का फिल्ड वर्क/प्रोजेक्ट वर्क होगा, जिसमें छात्र आपने निवास ग्राम में किये गये पर्यावरण संरक्षण कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। नियमानुसार पर्यावरण विषय के अंक छात्र के परीक्षा परिणाम में नहीं जुड़ेगा, केवल अंकसूची में अंकित रहेगा, किन्तु पर्यावरण विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक छात्र महाविद्यालय में संचालित हो रहे वैल्यु ऐडेड कोर्स में से अपनी पसंद के अनुसार किसी एक का चयन कर प्रथम सेमेस्टर से छठवें सेमेस्टर तक कभी भी अध्ययन कर सकेगा। सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर छात्र को प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा। वैल्यु ऐडेड कोर्स के संचालन एवं अभिलेख संधारण हेतु शासन के निर्देशानुसार एक सेल का गठन किया गया है।
- (a) आंतरिक मूल्यांकन—** सैद्धांतिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न—पत्रों में नवीन सेमेस्टर सिस्टम में तीन स्तरीय आंतरिक मूल्यांकन—30 अंक, टेस्ट—10 अंक, सेमीनार—10 अंक एवं Assignment—10 अंक होंगे। टेस्ट की संख्या – 2 होगी जिसमें प्रथम टेस्ट में 02 अंक के 2 प्रश्न ($2 \times 2 = 4$ अंक) 100 शब्द सीमा वाले अतिलघूतरी के रूप में होगा एवं 6 अंक का एक लघूतरी ($6 \times 1 = 6$ अंक), शब्द सीमा 200—250, निर्धारित 40 मिनट के पीरियड में सम्पन्न होगा। दूसरा टेस्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित होगा।

Assignment— त्रिस्तरीय प्रश्न योजना के रूप में होगा जिसमें, लघूतरी 01 अंक के 02 प्रश्न ($1 \times 2 = 2$ अंक) शब्द सीमा 70 – 100, लघूतरी 1.5 अंक के 02 प्रश्न ($1.5 \times 2 = 3$ अंक) शब्द सीमा 200—250, दीर्घोत्तरी प्रश्न 2.5 अंक के 02 प्रश्न ($2.5 \times 2 = 5$ अंक) शब्द सीमा 500—600।

आंतरिक मूल्यांकन उत्तीर्ण होने हेतु इसके तीनों विधाओं (टेस्ट, सेमिनार एवं असाईनमेन्ट) में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 11 अंक प्राप्त करना होगा।

(b) प्रायोगिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न—पत्रों में आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक का होगा, जिसमें टेस्ट—08 अंक, सेमीनार—08 अंक एवं Assignment—09 अंक का होगा। टेस्ट की संख्या – 2 होगी जिसमें 02 अंक के 2 प्रश्न ($2 \times 2 = 4$ अंक) 100 शब्द सीमा वाले लघूतरी एवं 4 अंक का एक दीर्घोत्तरी ($1 \times 4 = 4$ अंक), शब्द सीमा 500—600 निर्धारित होगा।

Graduate Assignment— प्रायोगिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न—पत्रों में Assignment त्रिस्तरीय प्रश्न योजना के रूप में होगा, जिसमें अति लघूतरी प्रश्न 01 अंक के 02 प्रश्न ($1 \times 2 = 2$ अंक) शब्द सीमा 70 – 100, लघूतरी प्रश्न ($1.5 \times 2 = 3$ अंक) के 02 प्रश्न ($1.5 \times 2 = 3$ अंक) शब्द सीमा 200—250, दीर्घोत्तरी प्रश्न 02 अंक के 02 प्रश्न ($2 \times 2 = 4$ अंक) शब्द सीमा 500—600 निर्धारित होगा।



10

10

आंतरिक मूल्यांकन उत्तीर्ण होने हेतु इसके तीनों विधाओं (टेस्ट, सेमिनार एवं असाईनमेन्ट) में समिलित रूप से न्यूनतम 09 अंक प्राप्त करना होगा।

12. यदि किसी छात्र ने एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं क्रीड़ा में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है और उसने इकाई टेस्ट परीक्षा में प्रत्येक टेस्ट परीक्षा में एक टेस्ट परीक्षा दी है, तो छोड़े गये टेस्ट में दिये गये टेस्ट के अर्जित अंक के बराबर अंक प्रदान किया जाएगा, किन्तु यदि वह किसी प्रश्न-पत्र में दो में से एक भी टेस्ट नहीं दिया हो तो उस छात्र का उस प्रश्न-पत्र में एक इकाई की टेस्ट परीक्षा आयोजित की जायेगी। महाविद्यालय के एन.सी.सी., एन.एस.एस., क्रीड़ा में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में इकाई टेस्ट परीक्षा पुनः आयोजित नहीं की जायेगी।

Seminar – Paper presentation और Paper जमा करना। उपरोक्त तीनों विधाओं में न्यूनतम उत्तीर्णक कुल 11 अंक प्राप्त करने होंगे।

13. (a) सेमेस्टर परीक्षा— कुल 70 अंक का चार स्तरीय प्रश्न योजना समस्त सेमेस्टर कक्षाओं में निर्धारित हैं। जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 01 अंक के 10 प्रश्न ($1 \times 10 = 10$), अति लघूत्तरी प्रश्न 03 अंक के 03 प्रश्न ($3 \times 3 = 09$ अंक) शब्द सीमा 70–100 शब्द, लघूत्तरी प्रश्न 06 अंक के 03 प्रश्न ($3 \times 6 = 18$ अंक) शब्द सीमा 200–250 शब्द, दीर्घोत्तरी प्रश्न 11 अंक के 03 प्रश्न ($3 \times 11 = 33$ अंक) 500–600 शब्द सीमा के रूप में होगा। सभी प्रश्न योजना आंतरिक विकल्प के साथ होगा।

सेमेस्टर परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम उत्तीर्णक 25 एवं आंतरिक मूल्यांकन उत्तीर्णक 11 अंक सहित कुल (Aggregate) 36 अंक प्रत्येक प्रश्न-पत्र में उत्तीर्ण होने हेतु प्राप्त करना होगा। विधि स्नातक में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 36 अंक प्राप्त करना होगा एवं सेमेस्टर के कुल प्रश्न-पत्रों को मिलाकर (Aggregate) 48% अंक अनिवार्यतः अर्जित करना होगा।

(b) प्रायोगिक विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न-पत्रों में कुल 50 अंक का चार स्तरीय प्रश्न योजना निर्धारित है। जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 01 अंक के 08 प्रश्न ($1 \times 8 = 08$), अति लघूत्तरी प्रश्न 02 अंक के 03 प्रश्न ($2 \times 3 = 06$ अंक) शब्द सीमा 70–100 शब्द, लघूत्तरी प्रश्न 04 अंक के 03 प्रश्न ($4 \times 3 = 12$ अंक) शब्द सीमा 200–250 शब्द, दीर्घोत्तरी प्रश्न 08 अंक के 03 प्रश्न ($8 \times 3 = 24$ अंक) 500–600 शब्द सीमा। सभी प्रश्न योजना आंतरिक विकल्प के साथ होगा।

आधार पाठ्यक्रम के दोनों प्रश्न-पत्रों (हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्य योजना यथावत लागू होगा।

14. कृपांक— छात्र को उत्तीर्ण होने हेतु अधिकतम 03 अंक जो अधिकतम दो विषयों/ प्रश्न-पत्रों में कृपांक की पात्रता होगी। साथ ही, डिविजन (श्रेणी) में प्रोन्नति (प्रोमोशन) हेतु 01 अंक कृपांक की पात्रता होगी, जो अंक जोड़े नहीं जायेगे। किन्तु, कृपांक के दोनों प्रावधान एक साथ लागू नहीं होगे।
15. आंतरिक मूल्यांकन मॉनिटरिंग समिति का गठन — प्रत्येक विभाग में आंतरिक मूल्यांकन समिति होगी। विभागाध्यक्ष संयोजक, स्वशासी प्रकोष्ठ से एक सदस्य, विभाग के अन्य शिक्षक सदस्य होंगे परंतु जिस विभाग में कोई भी नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं हैं, वहां महाविद्यालय के बाहर के एक विषय शिक्षक को सदस्य मनोनित किया जायेगा। छात्रों के टेस्ट परीक्षा कॉफी का प्रदर्शन विभाग में किया जायेगा तथा छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में प्राप्त शिकायत का निराकरण आंतरिक मूल्यांकन मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जायेगा।
16. पुनर्मूल्यांकन— अधिकतम दो विषयों/ प्रश्न पत्रों में पूर्णमूल्यांकन की पात्रता होगी।
17. छात्र-अभिभावक योजना — प्रत्येक विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर कक्षाओं के एवं अन्य शिक्षक अपने संकाय के स्नातक कक्षाओं के अभिभावक होंगे, जो छात्रों के वैल्यू ऐडेड कोर्स, इंटर्नशीप, छात्रों के माता-पिता के साथ बैठक आयोजन, छात्रों के नौकरी में आने सम्बंधी समस्त जानकारी का संकलन करेंगे। प्रथम वर्ष के नियमित छात्रों से प्रर्यावरण में 15 रु. शुल्क लिया जाएगा, जिससे शिक्षक को प्रर्यावरण के प्रोजेक्ट वर्क/ फिल्ड वर्क हेतु मार्गदर्शण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु 10 रु. पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। शेष 5 रुपये का भुगतान स्वशासी प्रकोष्ठ के नियंत्रकों एवं कार्यलयीन स्टॉफ को किया जायेगा।
18. परीक्षा में समिलित होने हेतु पात्रता—

- a. सेमेस्टर कक्षाओं में 75 % उपरिस्थिति के साथ आंतरिक मूल्यांकन के सभी विषयों/ प्रश्न-पत्रों में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।



- b. द्वितीय सेमेस्टर की पात्रता—ऐसे विद्यार्थी जो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो को तत्काल बाद कितने भी विषय में बैंक के साथ द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।
- c. तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता— विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों/ प्रश्न—पत्र में बैंक नहीं होना चाहिए एवं प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से कुल 04 से अधिक विषयों/प्रश्न—पत्रों में बैंक नहीं होना चाहिए।
- e. चतुर्थ सेमेस्टर में परीक्षा की पात्रता— चतुर्थ सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से अधिकतम 04 से अधिक विषयों/प्रश्न—पत्रों में बैंक नहीं होना चाहिए।
- f. पंचम सेमेस्टर में प्रवेशकी पात्रता— पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण होना चाहिए एवं तृतीय सेमेस्टर में 02 तथा चतुर्थ सेमेस्टर में 02 से अधिक विषयों/ प्रश्न पत्रों में बैंक नहीं होना चाहिए।
- g. षष्ठम् सेमेस्टर में परीक्षा की पात्रता— षष्ठम् सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही चतुर्थ एवं पंचम सेमेस्टर में भी 04 से अधिक विषयों/प्रश्न—पत्रों में बैंक नहीं होना चाहिए।
- h. सम सेमेस्टर के बैंक की परीक्षा सम सेमेस्टर में एवं विषम सेमेस्टर के बैंक की परीक्षा विषम सेमेस्टर में आयोजित होंगी।
- i. यदि कोई विद्यार्थी सभी सेमेस्टर में उत्तीर्ण है एवं केवल पंचम सेमेस्टर में एक विषय/प्रश्न पत्र में बैंक है तो ऐसी स्थिति में छात्र को षष्ठम् सेमेस्टर की परीक्षा के साथ पंचम सेमेस्टर की उक्त विषय/ प्रश्न पत्रों को बैंक परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

19. विधि स्नातक कक्षाओं हेतु पात्रता:-

प्रथम सेमेस्टर सहित सभी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्रता –

- 1.) 75% उपस्थिति के साथ सभी पश्न पत्रों के आन्तरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होना होगा।
- 2.) उत्तीर्ण होने हेतु सम्बन्धित सेमेस्टर में छात्र को प्रत्येक प्रश्न पत्र में 36% एवं एग्रीगेट 48% अंक प्राप्त करना होगा।
- 3.) प्रत्येक सेमेस्टर के किसी एक प्रश्न में न्यूनतम उत्तीर्णांक 36% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र ATKT घोषित किये जावेंगे। ऐसे छात्र अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश पा सकेंगे तथा उन्हे अगले सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ATKT प्राप्त प्रश्न—पत्र की ATKT परीक्षा में शामिल होने की पात्रता होगी।
- 4.) प्रत्येक सेमेस्टर के ऐसे छात्र जिन्होने न्यूनतम उत्तीर्णांक 36% अंक प्राप्त किये हों, किन्तु एग्रीगेट 48% अंक से कम अंक प्राप्त किया हो, ऐसे छात्र ATKT Short of Aggregate घोषित किये जाएँगे। ये छात्र अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश पा सकेंगे, साथ ही सम्बन्धित सेमेस्टर के कोई दो प्रश्न—पत्रों का चयन कर ATKT परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
- 5.) किसी सेमेस्टर के एक से अधिक प्रश्न—पत्र पत्रों में न्यूनतम 36% से कम अंक पाने वाले छात्र अनुत्तीर्ण घोषित किये जाएँगे। ऐसे छात्र उत्तीर्ण हुए बिना अगले सेमेस्टर में न तो नियमित प्रवेश पा सकेंगे और न ही अगले सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
- 6.) पंचम सेमेस्टर में प्रवेश के पूर्व छात्र को पूर्व के चारों सेमेस्टर 48% एग्रीगेट के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- 7.) षष्ठम् सेमेस्टर में ऐसे छात्र परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखेंगे जो पंचम सेमेस्टर में उत्तीर्ण, ATKT, ATKT Short of Aggregate हों। परंतु पंचम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण छात्र परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रखेंगे। ऐसे छात्र पंचम सेमेस्टर में उत्तीर्ण कर षष्ठम् सेमेस्टर में पुनः प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन करेंगे तथा परीक्षा में सम्मिलित होंगे।



10 11

- 8.) किसी भी सेमेस्टर के प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण छात्र सम्बंधित सेमेस्टर के प्रायोगिक परीक्षा में ATKT घोषित किया जायेगा एवं अगले सेमेस्टर के साथ ATKT परीक्षा सम्मिलित हो सकेगा।
- 9.) छात्र को अधिकतम छः वर्ष में पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।
20. **इंटर्नशीप प्रशिक्षण** – प्रत्येक छात्र अपने पाठ्यक्रम के साथ अपने पसंद के क्षेत्र का चयन कर इंटर्नशीप कर सकेंगे। इसके लिए एक इंटर्नशीप प्राकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जो छात्रों को इंटर्नशीप हेतु फर्म, व्यक्ति अथवा संस्थान प्रदान करेगा। इंटर्नशीप के प्रमाण-पत्र की प्रति छात्रों को इंटर्नशीप प्राकोष्ठ में जमा करना होगा।
21. **कोर्स अपूर्ण छोड़कर दूसरे में प्रवेश लेना** – ऐसे छात्रों को कक्षा में उपलब्ध सीट होने पर पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा।
22. **छात्रों द्वारा परीक्षा आवेदन भरा जाना** – सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु छात्रों को परीक्षा आवेदन भरना होगा। इसके लिए उन्हें आंतरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा न्यूनतम 75% उपस्थिति आवश्यक होगी।

किसी भी सेमेस्टर में यदि कोई छात्र आन्तरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण रहता है तो वह सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र नहीं होगा, यदि वह प्रथम सेमेस्टर का नियमित छात्र रहा हो तो वह आगे अध्ययन जारी नहीं रख सकेगा। किन्तु, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम् सेमेस्टर की स्थिति में उसे उसी कक्षा में रहकर पुनः आन्तरिक मूल्यांकन में न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित करना होगा। यह प्रावधान विधि स्नातक कक्षाओं के छात्रों पर भी लागू होगा।

23. **मॉडरेशन बोर्ड** – प्रश्न पत्रों की छपाई पूर्व मॉडरेशन बोर्ड जांच करेंगी कि प्रश्न अनिवार्यतः पाठ्यक्रम के अंदर का हो एवं उसकी भाषा एवं पैटर्न निर्धारित स्वरूप में हो।

उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त अन्यथा, अथवा विषम परिस्थिति में बी.सी.आई एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर के अध्यादेश में निहित प्रावधान लागू किये जा सकेंगे।

अप्रायोगिक विषयों हेतु

सेमेस्टर परीक्षा			आंतरिक मूल्यांकन	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक	कुल उत्तीर्णांक अंक
प्रत्येक प्रश्न पत्र	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक				
प्रत्येक प्रश्न पत्र	70	25	टेस्ट	10	11	36
			सेमीनार	10		
			असाइनमेंट	10		

प्रायोगिक विषयों हेतु

सेमेस्टर परीक्षा			आंतरिक मूल्यांकन	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक	कुल उत्तीर्णांक अंक
प्रत्येक प्रश्न पत्र	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक				
प्रत्येक प्रश्न पत्र	50	18	टेस्ट	08	09	27
			सेमीनार	08		
			असाइनमेंट	09		



Opamre3 -
डॉ. कशीदा पवर्जा

प्राचार्य
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा, छ.ग.

—:: अधिसूचना ::—

नवीन Choiced Based Credit System पर आधारित समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सत्र 2015–16 से स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर से प्रभावशील है। मूल्यांकन के दो भाग होंगे, आंतरिक मूल्यांकन एवं सेमेस्टर परीक्षा तथा छात्र को अधिकतम चार वर्षों में कोर्स पूरा करना होगा।

- आंतरिक मूल्यांकन—** नवीन पाठ्यक्रम में चार स्तरीय आंतरिक मूल्यांकन—30 अंक, टेस्ट—10 अंक, सेमीनार—10 अंक एवं Assignment—10 अंक, टेस्ट — 2 अंक के 2 प्रश्न ($2 \times 2 = 4$ अंक) 100 शब्द सीमा वाले लघुत्तरी एवं 6 अंक का एक दीर्घत्तरी ($6 \times 1 = 6$ अंक), शब्द सीमा 500—600, निर्धारित 40 मिनट के पीरियड में सम्पन्न होगा।

Assignment— त्रिस्तरीय प्रश्न, लघुत्तरी 01 अंक के 02 प्रश्न ($1 \times 2 = 2$ अंक), शब्द सीमा 70—100, मध्यम आकार के 1.5 अंक के 02 प्रश्न ($1.5 \times 2 = 3$ अंक) शब्द सीमा 200—250, दीर्घत्तरी 2.5 अंक के 02 प्रश्न ($2.5 \times 2 = 5$ अंक) शब्द सीमा 500—600। यदि किसी छात्र ने एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं क्रीड़ा में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है और उसने इकाई टेस्ट परीक्षा में प्रत्येक टेस्ट परीक्षा में एक टेस्ट परीक्षा दी है, तो छोड़े गये टेस्ट में दिये गये टेस्ट के अर्जित अंक के बराबर अंक प्राप्त किया जाएगा, किन्तु यदि वह किसी प्रश्न—पत्र में दो में से एक भी टेस्ट नहीं दिया हो तो उस छात्र का उस प्रश्न में एक इकाई की टेस्ट परीक्षा आयोजित की जायेगी। महाविद्यालय के एन.सी.सी., एन.एस.एस., क्रीड़ा में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में इकाई टेस्ट परीक्षा पुनः आयोजित नहीं की जायेगी।

Seminar – Paper presentation और Paper जमा करना।

उपरोक्त तीनों विधाओं में न्यूनतम उत्तीर्णक कुल 12 अंक प्राप्त करने होंगे।

- सेमेस्टर परीक्षा—** कुल अंक 70, चार स्तरीय प्रश्न योजना पूर्वानुसार समस्त सेमेस्टर कक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 01 अंक के 10 ($1 \times 10 = 10$) अति लघुत्तरी प्रश्न 03 अंक के 03 प्रश्न ($3 \times 3 = 9$ अंक) शब्द सीमा 70—100 शब्द, लघुत्तरी प्रश्न 06 अंक के 03 प्रश्न ($3 \times 6 = 18$ अंक), शब्द सीमा 200—250 शब्द, दीर्घत्तरी प्रश्न 11 अंक के 03 प्रश्न ($3 \times 11 = 33$ अंक) 500—600 शब्द सीमा, दीर्घत्तरी प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ। सेमेस्टर परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम् उत्तीर्णक 25, आंतरिक मूल्यांकन सहित कुल (Aggregate) 40 अंक अनिवार्यतः अर्जित करने होंगे।
- आंतरिक मूल्यांकन क्रेडिट मॉनिटरिंग समिति का गठन —** विभागाध्यक्ष संयोजक, स्वशासी प्रकोष्ठ से एक सदस्य, विभाग के अन्य शिक्षक महाविद्यालय के बाहर के एक विषय शिक्षक (जिस विभाग में कोई भी नियमित शिक्षक न हो) छात्रों के टेस्ट परीक्षा कॉपी का प्रदर्शन, छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में प्राप्त शिकायत का निराकरण आंतरिक मूल्यांकन क्रेडिट मॉनिटरिंग समिति द्वारा किया जायेगा।
- पुनर्मूल्यांकन—** CBCS में प्रावधान नहीं होने के कारण पुनर्मूल्यांकन पुस्तिका का पुनः खोला जाना (Re-Open) को 2017 की प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा से समाप्त दिया गया है।
- ATKT योजना प्रारम्भ—** सत्र 2015–16 से प्रथम सेमेस्टर से सेमेस्टर परीक्षा में ATKT लागू किया गया है। ATKT- छात्र प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर के बाहार प्रश्न पत्रों के साथ चतुर्थ सेमेस्टर तक प्रोन्नत (Promote) होगा। प्रथम/तृतीय सेमेस्टर एवं द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ ATKT-की समस्त परीक्षाएँ आयोजित होंगी। चारों सेमेस्टर क्लीयर करने के बाद ही चतुर्थ सेमेस्टर की अंक सूची जारी की जाएगी। ATKT-प्राप्त छात्रों को अंक सूची सम्बंधित परीक्षा की ATKT-क्लीयर करने के बाद ही जारी की जायेगी। अंक सूची में ग्रेडिंग के साथ प्राप्तांक प्रतिशत अंकित किया जाएगा। ATKT-प्राप्त छात्र ATKT-क्लीयर करने के बाद ही महाविद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करें, अन्यथा उन्हें ATKT-परीक्षा में समिलित होने की पात्रता नहीं होगी।



6. एक कोर्स छोड़कर दूसरे में प्रवेश लेना— ऐसे छात्रों को कक्षा में उपलब्ध सीट होने पर पुनः प्रवेश दिया जाएगा।
7. छात्र/छात्राओं को क्रेडिट अंक प्रदान किया जाना— प्रथम सेमेस्टर से समस्त छात्र/छात्राओं को प्रत्येक प्रश्न—पत्र में 15 पीरियड/15 कार्य दिवस की कक्षा में उपस्थिति हेतु एक क्रेडिट अंक प्रदान किया जायेगा। इस तरह पाठ्यक्रम में प्रदर्शित अधिकतम (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक) क्रेडिट अंक 06 का 75 प्रतिशत क्रेडिट (अंक 4.5) अनिवार्यतः अर्जित करने होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र ओ.एस.सी. समस्त कक्षाओं हेतु एक समान होगा प्रश्न पत्र का प्रारूप एवं माध्यम उनके शेष चार प्रश्न पत्रों के अनुरूप होगा।
8. प्रथम सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र Social Outreach, Internship and Entrepreneurship दो भागों में होगा Social Outreach के अन्तर्गत कुल 50 अंक का होगा 40 अंक का प्रोजेक्ट वर्क एवं 10 अंक का प्रस्तुतीकरण एवं Internship and Entrepreneurship कुल 50 अंक का होगा जिसमें 40 अंक प्रोजेक्ट वर्क का एवं 10 अंक प्रस्तुतिकारण/मौखिकी का होगा। Internship के अन्तर्गत 15 दिवस की ट्रेनिंग महाविद्यालय द्वारा आबंटित फर्म/संस्थान में एवं Entrepreneurship के 30 घंटे का अध्यापन सम्बंधित विभाग में कराया जाएगा। छात्र से इस संबंध में एक प्रोजेक्ट वर्क जमा कराया जाएगा। छात्र से Internship का प्रमाण—पत्र विभाग जमा करेगा। चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न—पत्र के ओ.एस.सी. (Other Supportive Course)के अन्तर्गत समस्त छात्र/छात्राओं को डिजर्टेशन अनिवार्यतः करना होगा।
9. छात्रों द्वारा परीक्षा आवेदन भरा जाना— सेमेस्टर परीक्षा सम्मिलित होने हेतु छात्रों को परीक्षावेदन भरना होगा एवं इसके लिए उन्हे आंतरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होना होगा तथा न्यूनतम क्रेडिट अंक 4.5 (सैद्धान्तिक/प्रायोगिक विषय हेतु) अर्जित करने होंगे। प्रथम सेमेस्टर में यदि कोई छात्र क्रेडिट अंक अथवा आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित करने में असफल रहता है और सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र नहीं होता है, तो वह अध्ययन आगे जारी नहीं रख सकेगा, किन्तु द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर की स्थिति में उसे उसी कक्षा में रहकर पुनः क्रेडिट अंक एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित करना होगा।
10. मॉडरेशन बोर्ड— प्रश्न पत्रों की छपाई पूर्व मॉडरेशन बोर्ड जांच करेंगी कि प्रश्न अनिवार्यतः पाठ्यक्रम के अंदर का हो एवं उसकी भाषा एवं पैटर्न निर्धारित स्वरूप में हो। उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त अन्यथा, अथवा विषम परिस्थिति में सरगुजा विश्वविद्यालय के अध्यादेश में निहित प्रावधान लागू किये जा सकेंगे।

सेमेस्टर परीक्षा			आंतरिक मूल्यांकन	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक	कुल उत्तीर्णांक अंक
प्रत्येक प्रश्न पत्र	कुल अंक •	न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक	टेस्ट	10	12	• 40
			सेमीनार	10		
			असाइनमेंट	10		
			70	25	30	12



Dr. Kshiridha Patwari
प्राचार्य

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर, सरगुजा, छ.ग.

Controller